न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

आयुक्त उ.प. बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : श्री नवनीत कुमार
अपील संख्या : 10/2020

श्री नाथूसिंह पुत्र श्री गोविन्दराम जाट गांव दादिया रामपूरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर — अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज — रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :

1. श्री विजय कुमार भादाणी — वकील अपीलान्ट
2. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक :— 21—05—2026

यह अपील अपीलान्ट श्री नाथूसिंह पुत्र श्री गोविन्दराम जाट, गांव दादिया रामपूरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07—02—1995 से व्यथित होकर राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 23(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट को बतौर भूतपूर्व सैनिक आवंटन अधिकारी के द्वारा दिनांक 28—01—1985 को 19—10 बीघा कमाण्ड भूमि पाने का सक्षम पात्र मान रखा था व भूमि आवंटन किया जाना था लेकिन आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 07—02—1995 को बिना नोटिस दिये एकतरफा खारिज कर दिया गया कि अपीलान्ट सरकारी नौकरी करता है जबकि आवंटन अधिकारी को इस बाबत सम्पूर्ण जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित करना चाहिये था। जो इस आवंटन पत्रावली में नहीं किया गया है। दिनांक 28—01—1985 को भूमि पाने का सक्षम पात्र मानकर दिनांक 07—02—1995 को बिना नोटिस खारिज कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त करने का अनुरोध किया है। अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया है कि वह वर्ष 1994 में व्यक्तिगत उपस्थित होकर व शपथपूर्वक बयान किया है कि वर्ष 1990 से दूसरी सरकारी नौकरी कर रहा है। किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं था जिसको ऑन रिकार्ड पर लेकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07—02—1995 को अपीलान्ट का आवेदन पत्र बिना किसी नोटिस भेजे, पक्ष रखने के बिना मौका दिये आदेश कर दिया गया, जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए तथा अपील पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलार्थी ने कहा कि अपीलार्थी को दिनांक 28—01—1985 को 19—10 बीघा कमाण्ड भूमि पाने का सक्षम पात्र घोषित कर रखा था व अपीलान्ट ने दिनांक 24—12—1994 में शपथपूर्वक बयान किया है कि वर्ष 1990 से दूसरी सरकारी नौकरी कर रहा है। किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं था

Scanned with OKEN Scanner

जिसको ओन रिकार्ड पर लेकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07-02-1996 को अपीलान्ट का आवेदन पत्र बिना किसी नोटिस भेजे, पक्ष रखने के बिना मौका दिये खारिज कर दिया गया, जो निरस्त करावें।

इसी संबंध में पैरोकार राज की बहस सुनी गई। पैरोकार राज का कथन है कि भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 12-क के अन्तर्गत भूमिहीन की पात्रता मानकर ही भूमि आवंटन की जाती है। नियम 1975 के नियम 2(XIII)(ii)(क) के अन्तर्गत सरकार या किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक संस्थान या संस्थान के आकस्मिक या कार्य प्रभारित कोई कर्मचारी, उसकी पत्नी तथा उस पर आश्रित उसके बच्चे भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते। चूंकि अपीलार्थी ने दिनांक 24-12-1994 को शपथपूर्वक बयान किया है कि कि वर्ष 1990 से दूसरी सरकारी नौकरी कर रहा है। अतः ऐसे व्यक्ति को भूमि आवंटन नहीं की जा सकती। अपील करीब 30 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जो मियाद बाहर है। कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 12-क के अन्तर्गत पात्रता पर विचार कर ही भूमि आवंटन की जाती है। अपीलार्थी ने स्वयं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि वर्ष 1990 से दूसरी सरकारी नौकरी कर रहा है। अपीलान्ट भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। अपील करीब 30 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जो स्पष्टतः मियाद बाहर है। कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया है।

परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21-05-2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर